फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली कायमगंज

दिनांक :- 10.09.2023

कोतवाली कायमगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 451/22 धारा- 363/302/377 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को साक्ष्य के आधार पर किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराब आलम के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस फोर्स द्वारा मु0अ0सं0- 451/22 कोतवाली कायमगंज से सम्बन्धित अभियुक्त बाबी उर्फ अनीश शर्मा पुत्र जयसिंह नि0 ग्राम भगौतीपुर कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

दिनांक 25.11.2022 को घटित घटना की गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र वादिनी मुकदमा (मृतक की माँ) द्वारा दिये जाने पर मु0अ0स0- 451/22 धारा- 363 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 27.11.2022 को गुमशुदा उपरोक्त का शव मिलने पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 302 भादावि की बढोत्तरी कर विवेचना प्र0नि0 कोतवाली कायमगंज द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के क्रम मे विधि विज्ञान प्रयोगशाला तालग्राम कन्नौज की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 377 भादवि की बढोत्तरी कर डीएनए परीक्षण कराने के लिए संदिग्धो से डीएनए सैम्पल प्राप्त कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजे गये है। उसी क्रम मे दिनांक 05.09.2023 को संदिग्ध बाबी उर्फ अनीश शर्मा उपरोक्त का डीएनए परीक्षण हेतु सैम्पल लिया गया था। जिससे प्रभावित होकर अभियुक्त बाबी उर्फ अनीश शर्मा उपरोक्त ने दिनांक 08.09.2023 को थाना आकर स्वतः घटना कारित करने के सम्बन्ध मे अपने बयान अन्तर्गत धारा- 161 सीआरपीसी दर्ज कराये गये तथा अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा- 164 सीआरपीसी मा0 न्यायालय मे अंकित कराने के पश्चात उसके पिता जय सिंह को सुपुर्द किया गया था। दिनांक 09.09.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त पर वादिनी को मारने की आंशका जाहिर करने पर संगीन घटना को घटित होने से बचाने के लिये अभियुक्त बाबी उर्फ अनीश शर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त बाबी उर्फ अनीश शर्मा द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि दिनांक 05.09.2023 को डीएनए सैम्पल संरक्षित होने से प्रभावित होकर नींद ना आने के कारण स्वतः थाने पर आया हूँ तथा दिनांक 25.11.2022 को मृतक के साथ बैठकर करौंदे के बाग मे दारू पीकर व मृतक को पिलाकर, दारू का नशा होने पर मृतक के साथ गलत काम करके मफलर से गले मे फंदा डालकर हत्या करना स्वीकार करता हूँ, जिसके सम्बन्ध मे अभियुक्त द्वारा धारा- 161 सीआरपीसी मे विवेचक के समक्ष व धारा- 164 सीआरपीसी मे मा0 न्यायालय के समक्ष जुर्म इकरार करते हुये बयान अंकित कराया गया है।

वैज्ञानिक विवेचना की पहल से अपराध का अनावरण:-

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों का डीएनए सैम्पल लेकर मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, इससे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक दवाब में आ गया और घटना की सच्चाई को कबूल किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

बाबी उर्फ अनीश शर्मा पुत्र जयसिंह नि0 ग्राम भगौतीपुर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त बाबी उर्फ अनीश शर्मा का आपराधिक इतिहास :-

मु0अ0स0 451/22 धारा 363/302/377 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:-

1-प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल

2.का0 पुष्पेन्द्र

3.का0 संजीव कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त नीरज उर्फ रिंकू पुत्र प्रकाशचन्द्र नि0 श्यामनगर भूपतपट्टी थाना फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0 -293/2021 वाद सं0 83/2021 धारा-363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0 फर्रुखाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 11.09.2023 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद फर्रूखाबाद द्वारा **अभियुक्त नीरज उर्फ रिंकू उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 40,000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री विकास कटियार

एडीजीसी श्री अभिषेक कुमार

पैरोकार हे0का0 अरविन्द कुमार

थाना फर्रुखाबाद

FATEHGARH POLICE @fatehgarhpolice

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कादरी गेट

दिनांक :- 10.09.2023

थाना कादरीगेट पुलिस टीम मु0अ0सं0 208/2023 में वांछित अभियुक्त को चोरी के 01 अदद बैट्रा (AMARON), 01 अदद इन्वर्टर (MICROTEK), 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री प्रशान्त कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 208/2023 धारा 380/382/411 भादवि में वांछित अभियुक्त मो0 शहजाद उर्फ चन्दा पुत्र मो0 इलियास निवासी हाथीखाना कोतवाली फर्रूखाबाद को दिनांक 10.09.2023 को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त से चोरी गई 01 अदद बैट्रा AMARON का , 01 अदद इन्वर्टर MICROTEK का व एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मो0 शहजाद उर्फ चन्दा पुत्र मो0 इलियास उम्र 30 वर्ष निवासी हाथीखाना कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़ ।

पूछताछ का विवरण:- पुछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 02-03.09.2023 की मध्य रात्रि को मैने तथा मेरे साथी याकूब उर्फ किनारी पुत्र अहमद हसन निवासी मछली टोला कच्ची सराय थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद ने मिशन अस्पताल के पास बिरयानी के काउण्टर (खोखा) का ताला तोड़कर काउण्टर में रखे एक इन्वर्टर , बैटरा , गैस चूल्हा व बड़ा गैस स्लैण्डर तथा कुछ प्लेटें चोरी कर ली थी जिसको हम लोग राह चलते हुए ई-रिक्शा में रखकर मेरे घर ले गये थे तथा दोनों ने आपस में बांट लिया था । मेरे हिस्से में इन्वर्टर तथा बैटरा आया था तथा याकूब उर्फ किनारी के हिस्से में गैस चूल्हा व बड़ा गैस स्लैण्डर तथा कुछ प्लेटें आई थी । याकूब उर्फ किनारी अपने हिस्से का सामान लेकर चला गया था।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद बैट्रा (AMARON)
2. 01 अदद इन्वर्टर (MICROTEK)
3. 01 अदद तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 208/23 धारा 380/382/411 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 212/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 स्वदेश कुमार चौकी प्रभारी आवास विकास थाना कादरीगेट ।
2. कां0 संजीव कुमार थाना कादरीगेट ।
3. कां0 योगेश कुमार थाना कादरीगेट ।

मीडिया सेल फतेहगढ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 10.09.2023

थाना मऊदरवाजा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त अमित दुबे पुत्र स्व0 महेशचन्द्र दुबे को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित कुख्यात अपराधी को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया।

थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/23 धारा 419/420/467/468/471/504/506 /120बी/34 भादवि व 3(1)द/3(1)ध SC/ST Act में वांछित तथा गैगेस्टर अनुपम दुबे का भाई अमित दुबे पुत्र स्व0 महेशचन्द्र दुबे निवासी ग्राम सहसापुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ हाल पता 1/36 सदगुरु सदन मो0 कसरट्टा कोतवाली फतेहगढ़ को श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर की हुकुम तहरीर के अनुपालन में थाना मऊदरवाज पुलिस व एसओजी टीम इंटेल इनपुट के आधार पर जनपद लखनऊ पहुंचे जहाँ मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि उपरोक्त अभियुक्त एल्डीगो ग्रीन कालोनी निकट फन माल थाना गोमती नगर लखनऊ के एक फ्लेट में है, सूचना पर थाना मऊदरवाज पुलिस व एसओजी टीम के मौके पर पहुंचे और उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमित दुबे पुत्र स्व0 महेशचन्द्र दुबे निवासी ग्राम सहसापुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ हाल पता 1/36 सदगुरु सदन मो0 कसरट्टा कोतवाली फतेहगढ़ को मौके से ही पुलिस हिरासत में लिया गया तथा स्थानीय पुलिस को सूचना देकर व औपचारिकताये पूर्ण करते हुये जनपद फर्रुखाबाद लाया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने जुर्म से इन्कार किया तथा कोई भी संतोष जनक जवाब नहीं दिया, लगातार पुलिस के सवालो पर उल्टा सीधा जवाब देकर गुमराह करने का प्रयास किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित दुबे पुत्र स्व0 महेशचन्द्र दुबे निवासी ग्राम सहसापुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ हाल पता 1/36 सदगुरु सदन मो0 कसरट्टा कोतवाली फतेहगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 611/2000 धारा 147/148/149/307 भा0द0वि0 कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 05/2004 धारा 447/323/452 भा0द0वि0 कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़।
3. मु0अ0सं0 742/2010 धारा 147/148/149/307/302/120बी भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
4. मु0अ0सं0 1097/2010 धारा एन0एस0ए0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
5. मु0अ0सं0 382/21 धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
6. मु0अ0सं0 364/2021 धारा 504/506 भा0द0वि0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

7. मु0अ0सं0 465/2022 धारा 147/386/447/420/467/468/471/506 भा0द0वि0 कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
8. मु0अ0सं0 466/22 धारा 147/386/447/420/467/468/471/506 भा0द0वि0 कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
9. मु0अ0सं0 467/22 धारा 147/386/447/420/467/468/471/506 भा0द0वि0 कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ़।
10. मु0अ0सं0 09/23 धारा 147/148/149/342/386/447/427/506/420/467/468/471 भा0द0वि0 कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
11. मु0अ0सं0 111/2023 धारा 419/420/467/468/471/504/506/120बी/34 भा0द0वि0 व 3(1)द/3(1)ध SC/ST Act थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।
12. मु0अ0सं0 70/22 धारा 2/3 गुण्डा अधि0 कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
13. मु0अ0सं0 440/23 धारा 386/387/388/506 भा0द0वि0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम।
2. एसओजी टीम
3. सर्विलांस टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़